न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 27 / 2021 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2021 / 148

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
अर्जुनसिंह पुत्र श्री रतनसिंहजी, जाति–राजपूत, निवासी गुड़ा देवड़ान मेड़तियान, तहसील–देसूरी, जिला–पाली राजस्थान।		1. मंदोरकंवर धर्मपत्नी श्री सवाईसिंहजी, जाति– राजपूत, निवासी गुड़ा देवड़ान मेड़तियान्, तहसील– देसूरी, जिला – पाली राजस्थान। 2. ग्राम पंचायत बागोल, जरिये सरपंच, तहसील– देसूरी, जिला– पाली राजस्थान।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 21-9-21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत बागोल द्वारा अप्रार्थिया संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 46 दिनांक 25.11.2019 जो मिसल संख्या 02 / 2019–20 में पारित आदेश एवं प्रस्ताव संख्या 07 जो दिनांक 05.11.2019 की पालना में जारी किया गया उक्त आदेश एवं प्रस्ताव एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत का मूल रेकर्ड तलब कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थिया मन्दोरकंवर के हक में जारी पट्टा संख्या 46 जो प्रस्ताव संख्या 07 की पालना में जारी करना बताया है उक्त प्रस्ताव ही कोरम द्वारा विधिसम्मत नहीं लिया गया है इस कारण उक्त प्रस्ताव की पालना में जारी पट्टा निरस्त योग्य है। जिस भूमी का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया उक्त भूमी पर अप्रार्थिया का कब्जा कभी नहीं रहा ओर न ही वर्तमान में है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा आवासीय भूखण्ड के रूप में चला आ रहा है। भूखण्ड के चारों तरफ तारबन्दी की हुई है। जिसमें प्रार्थी के खण्डे लकड़िया आदि पड़े है। साथ ही गोबर की उकरली भी है अप्रार्थिया का क्रय सुदा भूखण्ड अलग से है जो अप्रार्थिया द्वारा 11.7.2017 को क्रय किया गया था जो प्रार्थी के पड़ौस में है जिसका पट्टा मदनसिंह पुत्र करणसिंह के नाम बना हुआ है जो जैर निगरानी भूखण्ड के पास है जैर निगरानी भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा कभी नहीं रहा है प्रार्थी का कब्जा है तथा उसके एक ओर उत्तर दिशा में प्रार्थी का भूखण्ड है तथा दूसरी तरफ दक्षिण दिशा में प्रार्थी की पत्नी का भूखण्ड है। तथा प्रार्थी ही उक्त भूखण्ड का उपयोग उपभोग कर रहा है। अप्रार्थिया ने नाजायज कब्जा करने की नियत से असफल कोशिश की एवं उन्होंने प्रार्थी के विरूद्ध एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु सिविल न्यायाधीश महोदय देसूरी के न्यायालय वाद संख्या CO / 17 / 2019 एवं CM / 16 / 2019 पेश किया जो विचाराधीन है माननीय न्यायालय द्वारा कमीशनर रिपोर्ट मंगवाई गई उ[illegible] अलग से दर्शाया हुआ है उसके खण्डे, लकड़िया, [illegible] सिद्ध है कि प्रार्थी का कब्जा है जैर निग[illegible] पर [illegible] नहीं होते हुए भी ग्राम पंचायत से मिलावट कर पट्टा जारी अपने पक्ष में करवा दिया जो [illegible]त नहीं है। प्रार्थी को पट्टे की जानकारी भी सिविल न्यायालय में वाद के चलते ही हुई है ग्राम पंचायत द्वारा नकलें भी नहीं दी गई तो बिना नकलों के ही एक अलग इजाजत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निगरानी पेश की गई। ग्राम पंचायत द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:24:04 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश...................2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

राजस्थान पंचायत राज नियम 145 से 157 तक बने हुए है उनकी पालना करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी नहीं किया गया है ग्राम पंचायत में आदेश व नक्शा शुल्क जमा नहीं कराया गया इसकी रसीद पेश नहीं की गई है ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम नहीं की गई मौका नहीं देखा गया तथा बयान गवाहान के नहीं लिए गए न आदेशिकाएं ही लिखी गई है आपति आमंत्रित करने के नोटिस सही रूप से जारी नहीं किया न सही रूप से चस्पा करवाया गया एवं अप्रार्थिया का 50 वर्ष पुराना कब्जा साबित नहीं होने के बावजूद भी नियम 157(1) के तहत पट्टा मात्र 200 / –रूपये में जारी कर दिया गया जबकि जैर निगरानी भूखण्ड पर प्रार्थिया का कब्जा नहीं है विधिवत प्रस्ताव भी नही लिया गया एवं पट्टा जारी कर दिया गया। जिसे निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थिया संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया है अप्रार्थिया का जैर निगरानी भूखण्ड पर कब्जा है उसके हक हकूक हेतु सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है जिसमें कमीशनर रिपोर्ट पेश की गई जिससे तारबंदी का वर्णन नहीं है भूमी पर लकड़िया पड़ी हुई है भूमी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है पट्टा बनाया जाने पर प्रार्थी द्वारा आपति पेश नहीं की गई एवं खारिज करने की कार्यवाही की जा रही है जो न्यायोचित नहीं है। पट्टा जारी करने पर आपतियां आमंत्रित की गई थी उसी समय अप्रार्थी को आपति प्रस्तुत करनी चाहिए थी अब यह कार्यवाही गलत तरीके से द्वेष भावना से भूखण्ड को हड़पने की नियत से की जा रही है जो विधिविरूद्ध होने से निगरानी निरस्त योग्य है सिविल न्यायालय में जैर निगरानी भूखण्ड की जो मौका रिपोर्ट पेश की गई उसके संबंध में सिविल न्यायाधीश महोदय के यहां एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका कमीश्नर रिपोर्ट के विरूद्ध आपति प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया था एवं उसे पत्रावली से हटाने बाबत आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन कर दिया था। उसे आधार नहीं मानते हुए निगरानी निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान करावे। ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 02 / 2019–20 कायम कर विधिवत कार्यवाही करते हुए तथा प्रस्ताव पारित कर जैर निगरानी पट्टा पुराना कब्जा होने से जारी किया गया जिसे यथावत रखा जावे तथा निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त निगरानी में विचारणीय बिन्दु दो है :–

1. क्या उक्त पट्टा नियम 157(1) के तहत जारी होने योग्य था ?
2. क्या पट्टा बनाते हुए प्रक्रिया का पालन किया गया है ?

सिविल न्यायालय में पक्षकारान के मध्य वाद विचाराधीन है तथा कमीश्नर की मौका रिपोर्ट में किसी भी पक्ष का होना अथवा कब्जा होना जाहिर नहीं होता है राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का भूखण्ड है ऐसा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं किया है। अलबता कमीशनर रिपोर्ट से जाहिर है कि जैर निगरानी आराजी पर कोई मकान बना हुआ नहीं है इससे स्पष्टतया पुश्तैनी कब्जा या मकान नहीं होने से जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है।

पत्रावली जो पंचायत से रेकर्ड के साथ प्राप्त हुई है उसमें सभी आदेशिकाएं व प्रार्थना पत्र व आपति नोटिस व बयान की फोटो प्रतियां है तथा वकील प्रार्थी के कथनानुसार हस्ताक्षर बाद में किए गए है परन्तु यह पट्टा निरस्त करने का कारण नहीं हो सकता है प्रक्रिया का पालन हुआ है लेकिन पुश्तैनी अथवा स्वयं का पुराना मकान नहीं होने से नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अप्रार्थिया मंदोर कंवर के हक में ग्राम पंचायत बागोल द्वारा मिसल संख्या 2 / 2019–20 में पारित आदेश व [illegible] संख्या 7 दिनांक 05.11.2019 व उसकी पालना में जारी पट्टा [illegible] 2019 [illegible] किए जाते है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:24:04 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली